

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 2024

15. घरेलू कामगार

संख्या : Shram(A)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कामगार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2024 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II, तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 20-06-2024 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2024 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
अकुशल कर्मकार:- हेल्पर, आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन	रु. 400 दैनिक रु. 12000 मासिक	रु. 338 दैनिक रु. 10140 मासिक
अर्ध- कुशल कर्मकार :- सिक्वोरिटी गार्ड, माली	रु. 423 दैनिक रु. 12690 मासिक	रु. 351 दैनिक रु. 10530 मासिक
कुशल कर्मकार :-		
कुक और चालक	रु. 464 दैनिक रु. 13920 मासिक	रु. 373 मासिक रु. 11190 मासिक

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल.**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन),

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 23-09-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated Shimla-2, the 23rd september, 2024

15. Domestic Workers

No. Shram (A) 4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2024**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 5 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2024**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and Washer man	400 Daily 12,000 Monthly	338 Daily 10,140 Monthly
Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard and Mali	423 Daily. 12,690 Monthly	351 Daily, 10,530 Monthly
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	464 Daily 13,920 Monthly	373 Daily 11,190 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.